सरयू राय
सदस्य
झारखण्ड विधान सभा
सभापति
प्रत्यायुक्त विधान समिति

आवास :
• एफ. टाईप, आवास सं०-1, ए.जी. मोड़,
डोरण्डा, राँची - 834002
मोबाईल नं० : 9431114466
ई-मेल : saryuroyoffice@gmail.com
वेबसाईट : www.saryuroy.in

पत्रांक : (आ.का.(वि.स.)/01/124/25   दिनांक : 26-03-25

प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

महाशय,

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–186 के तहत सदन की अवमानना एवं सभा–सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन की कार्रवाई करने की सूचना देता हूँ।

(सरयू राय)

विशेषाधिकार हनन की सूचना

मेरे द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–49 का जो उत्तर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने सदन पटल पर रखा है, उसमें तथ्यों को छिपाया गया है, तोड़–मरोड़कर प्रस्तुत किया गया है और गलत उत्तर दिया गया है, जो सभा–सदस्य के रूप में सही उत्तर प्राप्त करने के मेरे विशेषाधिकार का हनन है तथा सदन की अवमानना है।

सहायक निदेशक (औषधि), दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल), राँची द्वारा निदेशक (औषधि), राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम, राँची को प्रेषित पत्रांक AD-I/27, दिनांक 27.01.2025 संलग्न है। यह पत्र प्रासंगिक मामले में सहायक निदेशक (औषधि) दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल–IV और सहायक निदेशक (औषधि), दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल–I के संयुक्त जाँच प्रतिवेदन पर आधारित है।

स्पष्ट है कि विभाग के पास मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तथ्य आधारित सही उत्तर सामग्री उपलब्ध थी, इसके बावजूद इसे छिपाकर सदन के समक्ष मेरे प्रश्न का गलत एवं भ्रामक उत्तर विभाग द्वारा दिया गया, जो सदन की अवमानना है और सदन में सरकार से सही उत्तर प्राप्त करने के सभा–सदस्य के विशेषाधिकार का हनन है। इसके लिए सदन के समक्ष उत्तर देने वाले विभागीय मंत्री तथा उन्हें उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने वाले विभागीय अधिकारी जिम्मेदार है।

अनुरोध है कि उपर्युक्त विवरण के आलोक में विभागीय मंत्री एवं जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों पर सदन की अवमानना और सभा–सदस्य के विशेषाधिकार हनन की विधिसम्मत कार्रवाई की जाय।

सधन्यवाद,

(सरयू राय)

o/c